

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 111/2025/दावा/बउनवान/गिरराज बनाम राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या 2025/146

1. रूपेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण नन्दगावडी तहसील मांगरोल
जिला बारां

बनाम

.....वादी

01. गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण नन्दगावडी
तहसील मांगरोल जिला बारां

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट
कोर्ट कैम्प महलपुर

दायरा दिनांक: 28.04.2025

निर्णय दिनांक : 28.04.2025

निर्णय

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा कोर्ट कैम्प महलपुर में उपस्थित होकर वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

हमारे शामिल खाते की भूमि खाता संख्या. 125 से खसरा नम्बर 155/288 रकबा 2.62 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 18.34/- रुपये, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.81 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 12.67/- रुपये कुल किता 02 कुल रकबा 4.43 हेक्टर एवं खाता संख्या 20 से खसरा नम्बर 140 रकबा 0.99 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 6.93/- रुपये, खसरा नम्बर 141 रकबा 2.56 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 17.92/- रुपये, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.51 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 3.57/- रुपये कुल किता 03 कुल रकबा 4.06 हेक्टर वाके ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान में स्थित है जिस पर हम काबिज काश्त है और जिस पर हमें हर प्रकार के खातेदारी हक-हकूक प्राप्त है मौके पर हमने उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौखिक रूप में हिस्से अनुरूप विभाजन कर लिया है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी विभाजन करवाना चाहते हैं। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार उक्त बंटवारा नहीं होने के कारण हम मुकियान को सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिये हम दोनों पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त खाते का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करवाना चाहते हैं जो निम्न प्रकार है -

1- गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी नन्दगावडी तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान के हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा(हे0)	किस्म	लगानी	विवरण
20	140				
20	141	0.99	वारानी द्वितीय	6.93/-	
20	143	2.56	वारानी द्वितीय	17.92/-	
		0.51	वारानी द्वितीय	3.57/-	

3 किता	4.06	28.42/-
--------	------	---------

2- श्री रूपेन्द्र सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान के हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा(हे0)	किस्म	लगानी	विवरण
125	155/288	2.62	बारानी द्वितीय	18.34/-	
125	157	1.81	बारानी द्वितीय	12.67/-	
कुल	2 किता	4.43		31.01/-	

उपरोक्त सहमति बंटवारे से हम दोनो प्रार्थीगण पूर्णरूप से सहमत एवं सतुष्ट है, अगर उपरोक्त बंटवारा के मुताबिक हमारे खाते को राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त सहमति विभाजन इकरारनामा व हमारी सहमति के अनुसार ऊपर वर्णित विभाजन अनुसार विभाजन करने का पटवारी हलका ईश्वरपुरा को आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कोर्ट कैम्प में 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर सहमती विभाजन पत्र पेश किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

हमारे शामिल खाते की भूमि खाता सख्या 125 से खसरा नम्बर 155/288 रकबा 2.62 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 18.34/- रुपये, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.81 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 12.67/- रुपये कुल किता 02 कुल रकबा 4.43 हेक्टर एवं खाता सख्या 20 से खसरा नम्बर 140 रकबा 0.99 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 6.93/- रुपये, खसरा नम्बर 141 रकबा 2.56 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 17.92/- रुपये, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.51 हेक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगानी 3.57/- रुपये कुल किता 03 कुल रकबा 4.06 हेक्टर वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान में स्थित है जिसमें हमारा पृथक-पृथक हिस्सा 1/2 वाँ निहित है जिस पर हम काबिज काश्त है और जिस पर हमें हर प्रकार के खातेदारी हक हकूक प्राप्त है। मौके पर हमने उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौखिक रूप में हिस्से अनुरूप विभाजन कर लिया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी विभाजन करवाना चाहते हैं। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार उक्त बंटवारा नहीं होने के कारण हम मुकिरान को सरकारी लाभों से वंचित रहना पडता है। इसलिये हम दोनों पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त खाते का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करवाना चाहते है जो निम्न प्रकार है-

1- गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान के हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा(हे0)	किस्म	लगानी	विवरण
20	140	0.99	बारानी द्वितीय	6.93/-	
20	141	2.56	बारानी द्वितीय	17.92/-	
20	143	0.51	बारानी द्वितीय	3.57/-	
कुल	3 किता	4.06		28.42/-	

2- श्री रूपेन्द्र सिंह उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री सूरज सिंह जाति राजपूत निवासी नन्दगावडी तहसील मांगरोल जिला बाराँ राजस्थान के हिस्से में निम्न भूमि रहेगी।

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा(हे०)	किस्म	लगानी	विवरण
125	155/288	2.62	बारानी द्वितीय	18.34/-	
125	157	1.81	बारानी द्वितीय	12.67/-	
कुल	2 किता	4.43		31.01/-	

उपरोक्त सहमति बंटवारे से हम सभी मुकिरान पूर्णरूप से सहमत एवं सतुष्ट हैं, अगर उपरोक्त बंटवारा के मुताबिक हमारे खाते को राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः यह सहमति विभाजन पत्र हमने स्वस्थ व सचेतन अवस्था में राजी-खुशी के समक्ष साक्षीगण स्टाम्प 50/- रुपये एवं एक सादा हरे कागज कुल 02 किता पर टाईप करा दिया है जो सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे दिनांक 28.04.2025 ईस्वी।

पत्रावली कोर्ट कैम्प महलपुर में आज दिनांक 28.04.2025 को पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं कोर्ट कैम्प में उपस्थित आए। पक्षकारान ने कोर्ट कैम्प में आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति जाहिर की। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमत है। अतः ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगराले की आराजी खाता सं. 20 व 125 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तदनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करे।

तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगरोल की आराजी का बंटवारा निम्नानुसार वादीगण के मध्य किया जाता है:-

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(हे०)	लगान	हिस्सा
1.	गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन CBI बैंक शाखा बारां	140	0.99	6.93	पूर्ण
		141	2.56	17.92	पूर्ण
		143	0.51	3.57	पूर्ण
		कुल किता 3	रकबा 4.06 हे०		
2.	रूपेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन CBI बैंक शाखा बारां	155/288	2.62	18.34	पूर्ण
		157	1.81	12.67	पूर्ण
		कुल किता 2	रकबा 4.43 हे०		

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करें। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :-

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अर्जना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :- 111/2025/दावा/बउनवान/गिरराज बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2025/146

निर्णय दिनांक :- 28.04.2025

बउनवान:-

01. रूपेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण नन्दगावडी तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण नन्दगावडी तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

दायरा दिनांक: 28.04.2025

निर्णय दिनांक : 28.04.2025

कोर्ट कैम्प महलपुर में वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.04.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प महलपुर में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगरोल का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(हे0)	लगान	हिस्सा
1.	गिरराज उर्फ विरेन्द्र सिंह	140	0.99	6.93	पूर्ण
	पुत्र सूरजसिंह हिस्सा पूर्ण	141	2.56	17.92	पूर्ण
	जाति राजपूत सा. देह खातेदार	143	0.51	3.57	पूर्ण
	रहन CBI बैंक शाखा बारां				
		कुल किता 3	रकबा 4.06 हे0		
2.	रूपेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह हिस्सा	155/288	2.62	18.34	पूर्ण
	पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	157	1.81	12.67	पूर्ण
	रहन CBI बैंक शाखा बारां				
		कुल किता 2	रकबा 4.43 हे0		

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल लागू करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
सुपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जादावा		स्टाम्पअर्जादावा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सवूत		स्टाम्प वजह सवूत	
महनताना वकील		महनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
वयत इजराय हुकमनामा		वयत इजराय हुकमनामा	
मुताफर्रिक		मुताफर्रिक	
मीजान		मीजान	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।